THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI A.R. ANTULAY): (a) to (c) According to two separate community surveys conducted in Delhi during the period 1982—1988 and 1989—1994 by the Sita Ram Bharatia Institute and the All India Institute of Medical Sciences, respectively, prevalence of coronary heart disease was found to be close to 10% in adult males and females. Studies of immigrant Indian Communities in several countries (UK, Trinidad, Fiji, Singapore, South Africa, Mauritius, USA) have consistently reported that people of Indian origin are at a higher risk of morbidity and mortality due to coronary heart disease.

Health Education, Counselling to pa tients and provision/augmentation of treatment facilities are among the measures introduced.

A Pilot Project for control of Cardio Vascular Diseases has also been launched during the current financial year.

Funds of CAPART

*380. DR. RANBIR SINGH: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the Council for Advancement of Peoples action and Rural Technology (CAPART) had ordered a CBI inquiry in to squandering of its funds by iocial organisations as reported in the Jansatta of 14th and 15th July, 1995;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the action Gvoernment have taken/ propose to take in the matter? .

THE MINISTER OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (DR. JAGANNATH MISHRA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) CAPART has referred the cases of 61 Voluntary Organisations to CBI for investigation. Further action would be taken on receipt of CBI's report.

ग्राम स्तर पर न्यायालयों के संबंध में निगम आयोग की सिफारिशें

2509. **श्री अजीत जोगी** :

श्री मूलचन्द मीणा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निगम आयोग ने गांव स्तर पर न्यायालय स्थापित किए जाने के संबंध में सिफारिशें की हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) विधि आयोग ने, अपनी 114वीं रिपोर्ट में, प्रत्येक तालुक/तहसील स्तर पर ग्राम न्यायालय स्थापित किए जाने की सिफारिश की हैं, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में निचले स्तर पर न्याय उपलब्ध कराया जा सके । किसी ग्राम को प्रशासन की इकाई के रूप में लिया जाएगा । राज्यो में न्याय पंचायतों स्थापित किए जाने के प्रश्न पर 3 जुलाई, 1993 को नई दिल्ली में हुए पंचायत मंत्रियों और राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के सचिवों के सम्मेलन में विचार किया गया था और अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की गई थी कि न्याय पंचायतें, जिन्हें पद्धति समझा गया था, पंचायती राज के संबंध में राज्य विधान का भाग बन सकती थीं या उनके संबंध में राज्य विधान का भाग बन सकती थीं या उनके संबंध में पृथक, रूप से विधान बनाया जा सकता था । तथापि, संविधान के भाग-9 में न्याय पंचायतों का उल्लेख नहीं किया गया है । और उत्तर प्रदेश बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब जैसे बहुत कम राज्यों ने पंचायती राज के संबंध में अपने विधान में न्याय पंचायतों का उपबंध सम्मिलित किया है । फिर भी, पंचायती राज विधान में न्याय पंचायतों से संबंधित उपबंधों का किया जाना राज्य सरकार की अनन्य अधिकारिता के भीतर है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भवनों में अतिरिक्त मंजिलों के निर्माण के संबंध में दिशा-निर्देश

2510. **श्री गोविन्दराम मिरी** :

श्री पराग चालिहा :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में पूर्व निर्मित भवनों में और मंजिलों

के निर्माण की अनुमति प्रदान करने के संबंध में दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) गत तीन वर्षो के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान की गई अनुमति संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में शहरी विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) पूर्वनिर्मित भवनों में और मंजिलों के निर्माण की अनुमति मास्टर प्लान दिल्ली 2001 जोनल विकास योजनाओं के तहत निर्धारित विकास नियंत्रण मानदण्डों और भवन उपनियमों के अनुसार स्थानीय निकायों द्वारा की जाती है इस बाबत अलग से कोई दिशा-निर्देश निर्धारित नहीं किए हैं।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचना दी है कि गत तीन वर्षो के दौरान उनके द्वारा उपरोक्त प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी गयी।

दिल्ली छावनी बोर्ड ने दो मामलों में पहली मंजिल के निर्माण हेतु अनुमति दी है। नई दिल्ली नगर परिषद और दिल्ली विकास प्राधिकरण से ब्यौरे आने हैं।

डाक्टर पर होने वाला व्यय

2511. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सरकारी कालेजों में एक एम.बी.बी.एस. और एम.डी. छात्र पर कितना खर्च किया जाता है,

(ख) इस खर्च का कितना भाग विद्यार्थी से वसूल किया जाता है,

(ग) पिछले तीन वर्षो के दौरान इनमें से कितने डाक्टर भारत से बाहर चले गये हैं, और

(घ) क्या सरकार, सरकारी मेडिकल कालेजों से पढ़कर निकलने वाले डाक्टरों के लिए कतिपय अवधि तक ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में काम करने की शर्त लगाने का विचार रखती है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए. आर. अन्तुले) : (क) और (ख) भारतीय आर्युविज्ञान परिषद द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार सरकारी चिकित्सा कालेजों में चिकित्सा शिक्षा की लागत स्नातक स्तर पर प्रति छात्र 74 हजार रुपये से 1.78 लाख रु0 प्रतिवर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रति छात्र 71 हजार रुपये से 1.46 लाख रु0 प्रति वर्ष के बीच है। इन पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से ली जा रही फीस अति साधारण है।

(ग) पिछले तीन वर्षो के दौरान विदेश गए डाक्टरों की संख्या नीचे दी गई है:-

1992	5949
1993	5989
1994	आंकड़ों का अभी संकलन नहीं किया गया।

(घ) केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद ने यह प्रस्ताव पारित किया है कि विशिष्ट अवधि के लिए गांव में पोस्टिंग को अनिवार्य तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश से पहले पूर्वापेक्षित भी बनाया जाए।

मध्य प्रदेश में कृषि पर आधारित उद्योगों के लिए पूंजी निवेश

2512. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षो के दौरान मध्य प्रदेश में कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु विदेशी पूंजी-निवेश संबंधी प्राप्त प्रस्तावों का जिला-वार ब्यौरा क्या है,

(ख) अब तक कितने प्रस्तावों को अनुमोदित तथा कार्यान्वित किया गया है,

(ग) क्या सरकार द्वारा अदिवासी क्षेत्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है,

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ड़) अनुमोदित प्रस्तावों के कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ड़) गत तीन वर्षो के दौरान, 1993 से अक्टूबर, 1995 के अंत तक मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए प्राप्त तथा अनुमोदित विदेशी निवेश प्रस्तावों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। (**नीचे देखिये**)

परियोजना का क्रियान्वयन फलारंभ काल पर निर्भर करता है जो एक परियोजना से दूसरी परियोजना के मामले में बदलता रहता है। वास्तविक रूप से क्रियान्वित किये गये प्रस्तावों के ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

विदेशी निवेशों के अनुमोदन नई औद्योगिक नीति के अनुसार स्वीकृत किये जाते हैं। किसी परियोजना की स्थाना स्थल उद्यमी की परख तथा निर्णय पर निर्भर है।